

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/33/2025  
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2025/169

अपीलार्थी :-  
श्री मधुसुधन शर्मा पुत्र श्री रामकृपाल शर्मा  
निवासी -गांव/पोस्ट-टहला,  
तहसील- टहला, जिला अलवर।

बनाम

प्रत्यर्थी :-  
राज्य लोक सूचना अधिकारी  
एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

प्रवेश तिथि :: 30.07.2025

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 28.10.2025

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन-पत्र दिनांक 17.06.2025 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी रैणी से संबंधित सूचना चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांक: 30.07.2025 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस क्रमांक 437 दिनांक 31.07.2025 जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु वांछित सूचना के संबंध में पत्रांक: 532 दिनांक 22.08.2025 मय संलग्नक, जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को पूर्व में पत्रांक 214 दिनांक 26.03.2024 द्वारा सूचित किया जा चुका है।
7. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
8. अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांक: 28.10.2025 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।



अति० जिला कलक्टर  
(द्वितीय) अलवर (राज.)